राजस्थान–सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक, संलग्न चिकित्सालय समूह कोटा (राज0)

e.mail ID : principalmck@gmail.com Phone No. 0744-2470674(C) 2323578 (H)

क्रमांक : प.1( )/पी.ए.(एच)/न्यूज/2018/545 दिनांक : 26 अक्टूबर, 2018

:: परिपत्र ::

स्थानीय समाचार पत्र दिनांक 13.08.2018 में प्रकाशित समाचार "एमबीएस में महिला को 5 घंटे दौड़ाते रहे डॉक्टर" के सन्दर्भ में कार्यालय आदेश क्रमांक प.1( )/पीए(एच)/न्यूज/जॉच/2018/421 दिनांक 13.08.2018 द्वारा गठित जॉच समिति द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट दिनांक 26.09.2018 में दिये गये सुझावों के परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित निर्देश तुरन्त प्रभाव से जारी किये जाते हैं :–

1. सभी चिकित्सक उपचार पर्ची/रोगी शैय्या टिकट पर उपचार व अन्य सुझाव व नोट अंकित करने के बाद अपने लघु हस्ताक्षर के साथ अपना नाम व पद आवश्यक रूप से अंकित करेंगे।
2. आपातकालीन ड्यूटी के लिए नियुक्त चिकित्सक/रेजिडेन्ट चिकित्सक आपसे में अपनी ड्यूटी नहीं बदलेंगे। यदि किसी कारणवश ड्यूटी बदलना आवश्यक हो तो संबंधित चिकित्सालय के आर.एम.ओ. की लिखित सहमति से ही आपस में ड्यूटी बदल सकेंगे अन्यथा दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
3. आपातकालीन ड्यूटी के लिए नियुक्त चिकित्सक सम्पूर्ण समय आपातकालीन ड्यूटी कक्ष में ही उपलब्ध रहें। वार्ड या संबंधित विभाग की अन्य कोई कॉल होती है तो संबंधित इकाई के अन्य ऑन कॉल ड्यूटी चिकित्सक द्वारा ही अटेण्ड की जावेगी। आपातकालीन ड्यूटी चिकित्सक अपने ड्यूटी स्थल पर नहीं पाये जाने पर संबंधित चिकित्सक के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
4. इमरजेन्सी ड्यूटी के दौरान जो चिकित्सक प्रथम बार जिस मरीज को देखते हैं वह आवश्यक रूप से संबंधित रोगी को प्राथमिक निदान एवं उपचार लिखेंगे। किसी भी परिस्थिति में मौखिक रूप से इधर उधर जाने की सलाह नहीं देंगे। आवश्यकता होने पर संबंधित विषय विशेषज्ञ को दिखाने के लिए कॉल पर बुलायेंगे। इसमें कोताही बरतने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

अतः सभी संबंधितों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना पूर्ण सजगता एवं कठोरता से की जावे ताकि चिकित्सालय में आने वाले प्रत्येक रोगी को समय पर निदान एवं उपचार सुलभ हो सके। दोषी पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी जिसके लिए वे स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

sd/-
(डॉ0 गिरीश वर्मा)
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. अति0 निदेशक (प्रशा0) एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर ।
3. चिकित्सालय अधीक्षक/आरएमओ, एमबीएस/जेके लॉन/नवीन चिकित्सालय/रामपुरा सैटेलाइट चिकित्सालय, कोटा।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/ईकाई प्रमुख/चिकित्सक/रेजिडेन्ट चिकित्सक द्वारा विभागाध्यक्ष, ...
5. नोडल ऑफिसर/प्रभारी अधिकारी, वैबसाईट/आई.टी.सैल, मेडिकल कॉलेज, कॉलेज, कोटा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रपत्र वैबसाईट पर अपलॉड करावें।
6. स्थापना (राज0) शाखा/सामान्य शाखा–द्वितीय, मेडिकल कॉलेज, कोटा।

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक